



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1192

दिनांक:- 30/12/2022

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर श्री कैलाश एच. निमजे सुपुत्र श्री हरीभाऊ [वरियता सं.-67] सहायक निदेशक (सर्वे), जिनकी तैनाती वर्तमान में पी.एम.उदय में है, को उप निदेशक (सर्वे), के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 (रु.67,700-2,08,700/-रु.) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 15600-39100/-रु. के पे बैंड में 6600/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं | यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे |

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 15600-39100/- रु. के वेतनमान में 6600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. उप निदेशक (सर्वे) के पद पर श्री कैलाश एच. निमजे सुपुत्र श्री हरीभाऊ की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु आयुक्त (योजना)-II को रिपोर्ट करने का आदेश किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय)

दिनांक:- 30/12/2022

सं0-एफ.10(63)2022/सी.सी./1024

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष. के विशेष कार्यकारी अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. आयुक्त (कार्मिक) / योजना & समन्वय -II, भूमि प्रबंधन, दि.वि.प्रा.।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. अतिरिक्त आयुक्त (योजना) परियोजना, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. मुख्य अभियंता (QAC), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 - 2 / सर्वे, दि.वि.प्रा.।
9. उप निदेशक (कार्मिक)-1 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।
10. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा. - आदेश को डीडीए की वेबसाइट पर डालने हेतु।
11. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा.।
12. लेखाधिकारी (संस्था.) राजपत्रित / (योजना संस्था), दि.वि.प्रा.।
13. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
14. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

(मेघना त्यागी)

सहायक निदेशक (गोपनीय)